



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

6 अगस्त 2026

आरबीआई ने 'ऋणों की वसूली एवं वसूली एजेंटों की नियुक्ति में विनियमित संस्थाओं का आचरण'
संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

रिज़र्व बैंक ने हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 20 मई 2026 को 'ऋणों की वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति में विनियमित संस्थाओं का आचरण' संबंधी संशोधन निदेशों का मसौदा जारी किया था। उपर्युक्त संशोधित निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। प्राप्त प्रतिक्रिया का एक विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

2. तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं, जो **1 जनवरी 2027** से प्रभावी होंगे।

- (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026
- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026
- (vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026
- (vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026
- (viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026
- (ix) भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियाँ) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

3. संशोधन निदेशों में सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) को ऋणों की वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति में आचरण से संबंधित मामलों पर दिए गए व्यापक अनुदेश शामिल हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वसूली प्रक्रिया के दौरान उधारकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार, ऋणदाता के कर्मचारियों और वसूली

एजेंटों का आचरण तथा समुचित सावधानी, प्रशिक्षण, वसूली एजेंटों के लिए आचार संहिता जैसे विषय शामिल हैं। साथ ही, किसी उधारकर्ता के, उधार पर लिए गए मोबाइल उपकरणों के ऋण की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था को प्रयुक्त करते समय आरई द्वारा किया जाने वाला आचरण भी शामिल है।

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/827

(ब्रिज राज)
मुख्य महाप्रबंधक